अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) में ऑनलाइन आवेदन हेतु

ई-विवरणिका

सत्र 2026 - 2027

ई-आवेदन की प्रारंभ तिथि	:	01 जुलाई 2026
ई-आवेदन की अंतिम तिथि	:	24 जुलाई 2026
ई- आवेदन त्रुटि सुधार	:	27 जुलाई 2026

ई-आवेदन के लिए यहां क्लिक करें

विश्वविद्यालय का परिचय-

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 19 दिसंबर 2011 को की गई थी (अधिनियम क्रमांक 34, वर्ष 2011)। यह अधिनियम 21 दिसंबर 2011 से प्रभावशील है। अपने नाम को चरितार्थ करता हुआ यह विश्वविद्यालय हिंदी भाषा के ज्ञान और प्रचार-प्रसार हेतु समर्पित है। यह प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहां सभी पाठ्यक्रमों (विज्ञान, कला, संगणक आदि) के अध्ययन-अध्यापन हेतु हिंदी भाषा और हिंदी माध्यम को अपनाया गया है। भोपाल जिले के ग्राम मुगलिया कोट में प्रकृति के सुरम्य वातावरण के बीच स्थित यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को स्वच्छ ग्रामीण परिवेश में रहकर आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने का सुयोग प्रदान करता है, जहां सभी विषयों में भारतीय ज्ञान परम्परा को समावेशित करते हुए अध्यापन एवं शोध कार्य किया जाता है।

दृष्टिकोण-

विश्वविद्यालय युवा पीढ़ी के निर्माण हेतु समर्पित है, जो समग्र व्यक्तित्व के विकास के साथ ही रोजगार कौशल व चारित्रिक दृष्टि से भी विश्वस्तरीय हो, साथ ही विश्वविद्यालय की दृष्टि एक ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था के सृजन की ओर है जो भारतीय ज्ञान परंपरा तथा आधुनिक ज्ञान में समन्वय करते हुए छात्रों, शिक्षकों, एवं अभिभावकों में ऐसी समझ विकसित कर सके जो भारत केंद्रित होकर, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण को प्राथमिकता देने में समर्थ हो। विश्वविद्यालय अपने ध्येय वाक्य 'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते' (अर्थात- इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है), के पथ पर पूर्णरूपेण अग्रसर है।

स्थापना का उद्देश्य-

विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को अध्ययन, प्रशिक्षण, ज्ञान की वृद्धि और प्रसार के लिए तथा विज्ञान, साहित्य, कला और अन्य विधाओं में उच्च स्तरीय गवेषणा के लिए शिक्षण और शोध का माध्यम बनाना है। विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में मूल्य-आधारित व्यावसायिकता व स्वरोजगार की सोच विकसित करने पर विशेष बल दिया जाता है। विश्वविद्यालय हिंदी को केवल एक भाषा के रूप में ही नहीं, बल्कि ज्ञान-विज्ञान के संवर्धन के सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल में प्रवेश की प्रक्रिया के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल में मध्य प्रदेश शासन की नीतियों के अनुसार पीएच.डी. में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आरक्षण और छूट मध्य प्रदेश शासन की नीतियों के अनुसार प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय के विभिन्न पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सामान्य दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. प्रवेश/पात्रता मानदंड:

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश यूजीसी सार्वजनिक सूचना संख्या F.4-1(UGC-NET Review Committee)/2024(NET)/140648, दिनांक 27 मार्च 2024 के अनुसार किया जाएगा। इसके अनुसार, यू.जी.सी-नेट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्न तीन श्रेणियों के आवेदक पात्र होंगे:-

❖ **श्रेणी - 1: पात्रता**

(i) पीएच.डी. में प्रवेश के लिए (जेआरएफ के साथ पात्र)।

❖ **श्रेणी - 2: पात्रता**

(i) पीएच.डी. में प्रवेश के लिए (बिना जेआरएफ, केवल सहायक प्राध्यापक हेतु पात्र)।

❖ **श्रेणी - 3: पात्रता**

(i) केवल पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र (बिना जेआरएफ एवं बिना सहायक प्राध्यापक की पात्रता)

1.1 ऐसे आवेदक, जिनके पास 2025 से पूर्व यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित विषय में वैध जेआरएफ है, संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत पीएच.डी. पाठ्यक्रम में आवेदन के लिए पात्र हैं।

1.2 श्रेणी 2 और 3 के तहत प्रवेश के लिए, यूजीसी/सीएसआईआर - नेट एवं समकक्ष परीक्षाओं में वर्ष दिसम्बर 2025 एवं जून 2026 की परीक्षा के आधार पर पात्रता निर्धारित की जाएगी।

1.3 ऐसे आवेदक, जिन्होंने नेट दिसम्बर 2025 से पूर्व उत्तीर्ण किया है (बिना जे.आर.एफ), किसी भी पीएच.डी. पाठ्यक्रम में आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

1.4 यूजीसी (पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2022 के अनुसार, एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर)/दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के आवेदकों को, यूजीसी या मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसार, 5%अंकों या उनके समकक्ष ग्रेड में छूट दी जाएगी।

1.5 पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदक को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व पात्रता मानदंड को पूर्ण करना अनिवार्य है।

2. आवेदन कैसे करें:

2.1 अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल के 12 शैक्षणिक विभागों में शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय पोर्टल के माध्यम से 1 जुलाई 2026 (बुधवार) से 24 जुलाई 2026 (शुक्रवार) तक उपलब्ध रहेगी।

2.2 **आवेदन प्रक्रिया:** निर्धारित पात्रता मानदंड को पूर्ण करने वाले आवेदक 24 जुलाई 2026 (शुक्रवार) तक विश्वविद्यालय के पोर्टल *http://www.abvhv.edu.in/* एवं https://abvhv.mponline.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

2.3 यदि कोई आवेदक एक से अधिक विभाग में प्रवेश हेतु आवेदन करता है, तो उसे प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग-अलग पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा और प्रत्येक विभाग के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।

2.4 आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल के पात्रता मानदंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ने का सुझाव दिया जाता है।

2.5 आवेदकों को वैध ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर प्रदान करना होगा और आवश्यक दस्तावेजों की पठनीय सॉफ़्ट कॉपी अपलोड करनी होगी।

2.6 किसी भी तकनीकी समस्या या आवेदन पत्र जमा करने या आवेदन शुल्क भुगतान में देरी के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। आवेदन पत्र को निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऑनलाइन भरकर आवेदन शुल्क के साथ विधिवत रूप से जमा करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा हो और शुल्क विश्वविद्यालय के खाते में स्थानांतरित हो, इसकी सुनिश्चितता हेतु अंतिम तिथि के पूर्व आवेदन करने का सुझाव दिया जाता है। ऑफ़लाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2.7 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात, आवेदकों को आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना होगा, जिसे साक्षात्कार के समय समस्त **मूल** दस्तावेजों के साथ सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा।

2.8 समस्त दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ संलग्न करते हुए दिनांक 30/07/2026 तक स्वयं उपस्थित होकर या **कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ग्राम मुगालिया कोट, सूखी सेवनिया, विदिशा रोड, भोपाल - 462038** के पते पर डाक द्वारा भेजा जाना सुनिश्चित करें। लिफाफे के ऊपर **"पीएच.डी. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र"** अंकित करें।

3 आरक्षण नीति:

- अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा प्रवेश में आरक्षण (समय-समय पर संशोधित) मध्यप्रदेश शासन की नीतियों और दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

4 आवेदन/पंजीकरण शुल्क:

- विभिन्न पीएच.डी. अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन शुल्क:
  - एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी हेतु : रुपये 1500 /- + 300 (पोर्टल शुल्क)=1800 /-
  - अन्य श्रेणियों हेतु : रुपये 2000 /- + 300 (पोर्टल शुल्क)=2300 /-

टिप्पणी:

I. आवेदक नेट-बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई के माध्यम से आवेदन के लिए शुल्क का भुगतान कर सकता है।

II. भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आवेदकों को आवेदन पत्र भरते समय आवेदन शुल्क का भुगतान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में करना होगा।

5 चयन प्रक्रिया:

5.1 सभी पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सभी श्रेणियों (अर्थात श्रेणी 1, 2 और 3) के तहत वैध परीक्षा अंकों के लिए 70% भार और साक्षात्कार के लिए 30% भार दिया जाएगा। पीएच.डी. में प्रवेश वैध नेट अंकों और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की संयुक्त योग्यता के आधार पर होगा।

5.2 साक्षात्कार केवल उन्हीं पात्र आवेदकों का आयोजित किया जाएगा, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया है और साक्षात्कार के लिए चयनित सूची में हैं। साक्षात्कार अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल के संबंधित विभागों/परिसर में आयोजित किया जाएगा।

5.3 पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु साक्षात्कार की विभागवार अनुसूची एवं प्रक्रिया यथासमय विश्वविद्यालय की वेबसाइट (*http://www.abvhv.edu.in/*) पर अधिसूचित की जाएगी।

6 शैक्षणिक योग्यता:

निम्नलिखित आवेदक पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं:

(i) 4 वर्षीय/8 सेमेस्टर के स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के बाद 1 वर्ष/2 सेमेस्टर का मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम, या 3 वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के बाद 2 वर्ष/4 सेमेस्टर का मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम, या संबंधित वैधानिक नियामक निकाय द्वारा मास्टर डिग्री के समकक्ष घोषित योग्यता, जिसमें कम से कम 55% अंक या जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, वहां पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है।

या

किसी विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता, जिसे देश में स्थापित या शामिल किसी कानून के तहत स्थापित प्राधिकरण, या उस देश में किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता, स्वीकृति या अधिकृत मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जो शैक्षणिक संस्थान की गुणवत्ता और मानकों का आकलन, प्रत्यायन या आश्वासन देती हो।

(ii) यह आवश्यक होगा कि 4 वर्षीय/8 सेमेस्टर के स्नातक डिग्री कार्यक्रम (ऑनर्स विथ रिसर्च) के बाद प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले आवेदक कुल मिलाकर कम से कम 75% अंक या जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, वहां पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड (7.5/10) के साथ उत्तीर्ण हो।

(iii) एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर)/दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और आयोग द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए 5% अंकों की छूट या इसके समकक्ष ग्रेड की अनुमति दी जाएगी।

7. शोध निर्देशक का निर्धारण-

चयनित आवेदक को शोध निर्देशक का आवंटन अनुसंधान परामर्श समिति (आर.ए.सी) द्वारा औपचारिक रूप से किया जायेगा। यह आवंटन उपलब्ध सीटों, शोध निर्देशक की विशेषज्ञता एवं आवेदक की अनुसंधान रूचि के आधार पर होगा। विषयवार उपलब्ध शोध निर्देशकों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

8. सामान्य निर्देश:

8.1 विश्वविद्यालय प्रशासनिक कारणों से या किसी पाठ्यक्रम में पर्याप्त आवेदक न होने की स्थिति में, किसी विशेष विषय में प्रवेश प्रदान न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

8.2 पीएसयू/सरकारी क्षेत्र में कार्यरत आवेदकों को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अग्रेषित करना होगा या साक्षात्कार के समय (यदि प्रवेश के लिए चयनित होते हैं) अपने वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्रस्तुत करना होगा।

8.3 चयनित आवेदकों को अस्थायी प्रवेश प्रदान किया जाएगा और उनकी सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

8.4 चयनित आवेदकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी गई लिंक/सूचना के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में शैक्षणिक शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और आवेदक का नाम प्रावीण्य सूची से हटा दिया जाएगा। इसके बाद, प्रावीण्य सूची के अनुसार प्रतीक्षारत आवेदकों को अस्थायी प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

8.5 यूजीसी (पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) नियमावली, 2022 और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा 2023 में जारी की गई डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) डिग्री प्रदान करने का अध्यादेश, 2023, सत्र 2026-27 में प्रवेश लेने वाले पीएच.डी. शोधकर्ताओं पर लागू होगा।

8.6 विश्वविद्यालय को किसी भी अध्ययन पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है।

9 निर्धारित पात्रता संबंधी निर्देश :

9.1 यदि किसी भी आवेदक के प्रमाणपत्र, जिसमें डिग्री प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, जाति या आय प्रमाणपत्र शामिल हैं, किसी भी समय (अध्ययन के दौरान या उसके बाद) भ्रामक/बनावटी/नकली पाए जाते हैं, तो उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा या यदि डिग्री प्रदान की जा चुकी है, तो उसे शून्य और अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

9.2 चयनित आवेदकों को उस पाठ्यक्रम का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, जिसमें उन्हें प्रवेश प्रदान किया गया है। यदि कोई छात्र निर्धारित अवधि के भीतर शुल्क जमा करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा और प्रतीक्षारत सूची के अन्य आवेदकों को प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

9.3 यह विवरणिका परिवर्तन और संशोधन के अधीन है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा।

9.4 कोई भी आवेदक जो किसी अन्य विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से सक्षम प्राधिकरण द्वारा निलंबित, निष्कासित, प्रतिबंधित या रजिस्टर से हटाया गया हो, वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।

9.5 आवेदकों को अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से वेबसाइट (*http://www.abvhv.edu.in/*) अवलोकन करने की सलाह दी जाती है।

9.6 आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास दस्तावेज़ सत्यापन/पंजीकरण के समय उनके संबंधित योग्य परीक्षा के सभी मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध हों।

9.7 किसी विशेष पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए पात्रता सुनिश्चित करना केवल आवेदक की जिम्मेदारी होगी।

10 **घोषणा:**

विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल प्रवेश नीति के संबंध में आवश्यकतानुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। **सभी विवाद केवल भोपाल जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगें।**

पीएच.डी. में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम अनुसार सीटों की संख्या

(सत्र - 2026-27)

विषय	उपलब्ध सीट
रसायनशास्त्र	4
वाणिज्य	4
कंप्यूटर विज्ञान	4
अर्थशास्त्र	4
शिक्षाशास्त्र	4
चित्रकला	4
भूगोल	4
हिंदी भाषा एवं अनुवाद	4
इतिहास	4
विधि	4
भौतिकशास्त्र	4
योग एवं मानव चेतना	4
कुल	**48**

पीएच.डी. कार्यक्रम हेतु शुल्क-विवरण

क्र.	मद	निर्धारित शुल्क
01	पंजीयन आवेदन शुल्क	1500/- (एस.सी, एस.टी, एवं दिव्यांग आवेदकों के लिए) 2000/- (शेष अन्य श्रेणी के लिये)
02	पंजीयन शुल्क	5000/-
03	कोर्स वर्क शुल्क	10000/-
04	शोध केंद्र शुल्क	750/- प्रति माह (बिना प्रयोगशाला) 1500/- प्रतिमाह (प्रयोगशाला सहित)
05	सुरक्षा निधि (लौटाने योग्य)	3000/-
06	पुस्तकालय शुल्क	500/- प्रतिवर्ष
07	समयवृद्धि	3000/-
08	पुन: पंजीयन शुल्क	5000/-
09	शोध प्रबंध मूल्यांकन शुल्क	7000/-
10	संशोधित शोध प्रबंध मूल्यांकन शुल्क	7000/-
11	द्वितीय अवसर मौखिकी परीक्षा शुल्क	7000/-
12	परीक्षक प्रतिवेदन छायाप्रति	500/-
13	परिचय पत्र शुल्क	100/-
14	विश्वविद्यालय विकास शुल्क	2000/- वार्षिक
15	एलुमनी शुल्क	500/-
16	आईटी अधोसंरचना शुल्क	1000/- वार्षिक